Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 3 | ISSUE : 6 | JUNE 2017

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और महिला सशक्तिकरण

आलोक कुमार [1]

[1] शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा.

ABSTRACT

Keywords:

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के व्यक्तित्व और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लैंगिक या आर्थिक ताकत में वृद्धि करना है। भारतीय समाज के ढांचे की बनावट विषमता मूलक है। देश के वर्तमान परिदृश्य को देखे तो साफ नजर जाता है कि भेदभाव पूर्ण नीतियों के परिणाम स्वरूप अधिसंख्य लोग हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। जिसमें महिलाएँ सिर्फ सामाजिक, आर्थिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान किए जिससे महिलाओं को समाज में समान रूप से अधिकार मिले। सभी धाराओं में महिलाओं के लिए समानता का प्रावधान शामिल है। चाहे वह शिक्षा, रोजगार, सामाजिक और आर्थिक कोई भी क्षेत्र हो। डॉ. बी. अम्बेडकर के कारण ही आज महिलाएं आत्मविश्वासी एवं आत्मनिर्भर महसूस करती है। संविधान और कानूनों के कई लेखो को लागू करने से महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और समग्र सशक्तिकरण आया सशक्त महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में खुद को बेहतर साबित किया है महिला सशक्तिकरण महिलाओं के पास संसाधनों की क्षमता बढ़ाने और राजनीतिक जीवन विकल्प बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण साधन है। इस सारांश के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान के लिए डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता को सत्यापित करने की कोशिश की गई है। भारतीय सामाजिक, वार्मिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों का ऐतिहासिक आधार पर अवलोकन किया जाय तो यही निष्कर्ष हमारे समक्ष आता है कि भारतीय समाज संपूर्ण रूप से पुरुष प्रधान है। महिला द्वितीय श्रेणी की भूमिका आदिकाल से वर्तमान युग तक निभाती जा रही है। कन्या के उत्पन्न होने पर परिवार में उतनी खुशी नहीं मनाई जाती है जितनी पुत्र पैदा होने पर महिला का शोषण अभी भी भारत में देवदासी, नगरवधू और वेश्यावृत्ति के रूप में हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के रूप में आज भारतीय संसद में सांसद, विभिन्न विधानसभाओं में विधायक नगर निगमों में सदस्य ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान और सरकारी सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। महिला के अनेक रूप है। यह जननी, बुआ, दादी और पत्नी आदि रूपों में दुलार और ममता प्रदान करती है। पुत्री के रूप में कन्यादान कराके दूसरे परिवार में अपनी व्यवहार कुशलता एवं सेवा भाव अपनी सदस्यता प्राप्त कर उत्तरदायित्व निभाती है। महिलाओं ने अपनी भूमिका हर समय अच्छे से निभाई है। परंतु प्राचीन काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक महिलाओं की मात्र खिलौना समझा गया सती प्रथा, भ्रूण हत्या, देवदासी बनाना, बाल विवाह, विद्यावा असंगति इत्यादी, ये सभी उदाहरण महिलाओं की उपेक्षा के है, जो उस पर थोपे गए है। आज दम सभी मुद्दों में से कई मुद्दे हल हो चुके है, परंतु पुरे भारत में आज भी भ्रण हत्या, बाल–विवाह, विधवा असंगति, वेश्यावृत्ति जैसे प्रथा मुद्दे है। जन्म से ही महिलाओं को पुरुषों जैसी स्वतंत्रता व समानता नहीं दी जाती तथा आज भी यह डंका पीटा जाता है कि ये पुरुषों के समान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–15 में भी लिखा गया है कि ष्राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा।[6] परंतु क्या ऐसा सचमुच होता है। राज्य समाज से बनता है और समाज में आज भी विभिन्न कुरीतियाँ मौजूद है। महिलाओं को पाँच की जूती समझा जाता है। किसी भी महिला की अपनी कोई अलग पहचान नहों होती, कोई घर नहीं होता, कोई जाति नहीं होती और कोई धर्म नहीं होता। पुरुष की पहचान से ही उसको अपनी पहचान बनती है। शिक्षा के द्वारा उन्हें समाज में अपनी पहचान बनती है। शिक्षा के द्वारा उन्हें समाज में अपना स्थान बनाने का अवसर मिला, जिसके द्वारा उनकी अलग पहचान बनी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रो, मुख्यमंत्री तक महिलाएँ बनी यहाँ तक कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी महिलाएँ, पुरुषों के बराबर खड़ी है। शिक्षा का क्षेत्र हो या विज्ञान का राजनीति का हो या खेल का, महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक अलग छवि प्रस्तुत की है। महिलाओं का योगदान कही भी कम नहीं है, फिर भी उसे पुरुषों के अधीन रखा जाता है। महिलाएं चाहे देश का नेतृत्व करे या परिवार का पालन पोषण, उसे मालिकाना हक नहीं मिलता। आज भी उसे बिस्तर की शोभा और भोग की वस्तु ही समझा जाता रहा है। आज भी दहेज, बलात्कार, दुष्कर्म, लिंगभेद, जातिभेद आदि अन्य कई प्रकार से उसका शोषण और उत्पीड़न किया जाता है।

आधुनिक स्वतंत्र भारत के संविधान रचनाकार भारत रत्न डॉ. बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में भारतीय नारी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में मानव के समान अधिकार प्रदान किए है। उन्होंने हिंदू कोड बिल की रचना कर महिला वर्ग को स्वाभिमान से जीवन निर्वाह करने का अधिकार, मताधिकार प्रदान किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक कहा वे कहते हैं–ष्यदि हम लड़कों के साथ–साथ लड़कियों की शिक्षा की और भी ध्यान देने लग जाए तो हम अति शीघ्र प्रगति कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 में पुरुषों और महिलाओं की व्यापक संवैधानिक अधिकार देकर पूर्ण समानता की गारंटी दी गई। लगिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करना अपराध की श्रेणी में माना गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं को लड़के के समान सहउत्तराधिकारी बना दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने विशेष आधारों के संबंधों को खत्म करने यानी तलाक की अनुमति दी दहेज का अवैध घोषित किया गया व इनके लिए सजा का प्रावधान किया गया। परिणामतः स्वतंत्र भारत की महिलाओं में आज नवचेतना आई है, नव जागृति है। आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चलने की स्थिति में है फिर भी उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत महसूस हो रही है। यह सब हो सका महिला सशक्तिकरण में समाज सुधारक डॉ. बी. आर अम्बेडकर के योगदान से। उन्नीसवीं सदी के उत्तराई में सारी दुनिया में सुधारवादी आंदोलनों का जोर या तो भारतीय समाज भी भला इससे कैसे बचा रह सकता था। उस दौर में सुधारवादी आंदोलनों ने भारतीय समाज की संरचना को गहरे तक प्रभावित किया। इस सामाजिक चेतना की बदौलत दलित, पिछड़े और महिलाओं ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे आने लगी। इसी दौर में पुरातन परंपराओं का विरोध भी शुरू हो गया। अब ऐसी परंपराओं पर भी प्रश्न चिह्न लगने लग थे जो स्त्रियों को पुरुषों क मुकाबले कम करके आँकती थी।

जब महिलाएँ हर क्षेत्र में काम करने लगी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी सफलता के झपडे गाड़ने शुरू कर दिए दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की बात की जाने लगी। उस समय समाज में अनेक ऐसा परंपराएं मौजूद थी जो महिलाओं को दूसरे दर्जे का प्राणी मानती थी इसलिए ऐसे कानून बनाए गए जिनकी सहायता से महिलाओं को संरक्षण दिया जा सके, उन्हें आगे बढ़ने के मौके दिए जा सके।

प्रत्येक रूप से महिला को भांति–भांति की पात्रता अभिनीत करनी पड़ती है। चूंकि आज नारी का कार्यक्षेत्र परिवार तक ही सीमित नहीं रह गया है, उसे अपने कार्यस्थल पर भी अनेक रूपों में अपना दायित्व भली–भाँति निर्वहन करना पड़ता है। इस प्रकार एक ही नारी को एक हो दिन में कई प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। आजकल की कामकाजी नारी के रूप अत्याधिक विस्तत हो चुके है। अतः स्पष्ट है कि नारी शक्तिरूपा है, जगत जननी है। महिला के संबंध में यहाँ तक कहा गया है कि उसमें पृथ्वी के समान समा, सूर्य के समान तेज समुद्र के समान गंभीरता, चंद्रमा के समान शीतलता एवं पर्वत के समान उच्चता के एक साथ दर्शन होते हैं।

निष्कर्ष

डॉ. बोआर अम्बेडकर संपूर्ण भारत में 20वीं शताब्दी के एकलीत बुद्धिजीवि थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में महिलाओं के हर प्रकार के एक एवं अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किए। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी समाज को विकसित और सभ्य

तभी कहा जा सकता है जब वहा समाज के प्रत्येक वर्ग की राजनीति में भागीदारी हो, सत्ता में हिस्सेदारी हो और जहाँ सभी को आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से प्राप्त हो। किसी भी वर्ग को प्राप्त शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं को भी उस वर्ग के विकास का प्रतीक माना जाता है। शर्म की बात है कि आज हमारी आधी से भी ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएँ, विकास की दौड़ में पीछे छूट गई है। महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि श्आधी दुनियाश आज समाज की सबसे निर्बल वर्ग है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना क्या हम महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात जोर–शोर से की जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि महानगरों की कुछेक फिसदी महिलाओं की बात अगर छोड़ दे तो महिलाओं की अधिकांश आबादी आज भी आर्थिक रूप से गुलाम है। शहरों में जरूर महिलाए आफिस जाती दिखाई देती है लेकिन गाँवो की स्थिति अभी कुछ बदली नहीं है। यहाँ आज भी महिलाएं भोर में 4 बजे उठ जाती है, पशुओं को चारा–पानी देती है, उनका दूध निकालती है और काम के लिए खेतो पर चली जाती है। शाम ढले घर वापस लौटती है फिर वही पशुओं को चारा, दूध निकालना और परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना। गाँव की महिलाओं के नसीब में पूरे दिन सिर्फ काम ही होता है। और फिर भी उन्हें कामकाजी नहीं माना जाता है। महिला का दर्जा पूरे दिन काम करने के बाद भी अगर उन्हें प्रशंसा न मिले तो फिर कैसा समाज और कैसी इन्सानियत। ग्रामीण महिलाओं की विडंबना ही है कि उनके इस महत्त्वपूर्ण काम को उनका कर्तव्य मान कर भुला दिया जाता है। शहरों की तथाकथित कामकाजी महिलाओं की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। इन्हें ऑफिस के साथ–साथ सँभालनी पड़ती है। एक तरह से उन्हें दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है और बदले में मिलता है, कुछ भी नहीं। हमारे देश बालिका शिक्षा की क्या स्थिति है यह किसी से छिपा नहीं है। शहरों में जरूर लड़कियों को पढ़ाई के पूरे अवसर दिए जाते हैं। लेकिन गाँव–देहात में स्थिति आज भी बेहद खराब है। गाँवां में आज भी लड़कियों को स्कूल भेजने से लोग कतराते हैं, वे सोचते हैं कि लड़की तो पराया धन है, बड़े होकर तो उसे घर–परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, बच्चे पालते है इसलिए पढ़ा–लिखा कर क्या कायदा यही कारण है कि गाँव के स्कूलों तक बहुत कम लड़कियों पहुँच पाती है। जो लड़कियाँ किसी तरह से स्कूल पहुँच भी जाती है तो वे विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है। स्वयं भारत सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि लड़को की अपेक्षा लड़कियों में ऐसा प्रतिशत अधिक होता है जो स्कूल के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है। गांवो में लड़कियों का बहुत कम प्रतिशत माध्यमिक स्कूल तक पहुँच पाते हैं। जैसे–जैसे कोई लड़की किसी तरह बारहवी कर भी लेती है तो घर वाले उसे पास के कस्बे के कॉलेज में नहीं भेजते हैं। गांवों में मात्र कुछ फीसदी लड़कियों की कॉलेज की शक्ल देख पाती है। इसके बाद हमारे यहाँ स्कूल से लेकर कॉलेज तक शिक्षा का स्तर इतना घटिया है कि लाख पढ़ाई के बाद भी ग्रामीण बालिकाओं में एक मानसिक स्तर विकसित नहीं हो पाता है। अधिकांश बालिकाओं को शिक्षा नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर नहीं है तो फिर कैसा महिला सशक्तिकरण ऐसा ही हाल महिला राजनीति का भी है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी रूप बरोमीटर से किसी भी समाज के विकास का आकलन आसानी से किया जा सकता है। सशक्तिकरण का भी यही सबसे अच्छा प्रतीक है। सत्ता में हिस्सेदारी होगी तो अधिकार भी सुलभ होगे और एक अधिकार संपन्न समाज ही सशक्त समाज कहलाता है। लेकिन दुर्भाग्य से, यदि राजनैतिक हिस्सेदारी के दृष्टिकोण से देखे तो महिलाएँ बेहद निर्बल है। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दे तो भारतीय राजनीति का आकाश, महिला विहीन ही है। यदि राजनीति भागीदारी नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं तो फिर कैसा विकास और कैसा सशक्तिकरण जब महिला आरक्षण की बात आई तो इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उपलब्धि कहा गया था लेकिन यह हमारी राजनीति की एक बड़ी नाकामी साबित हो चुका है। महिला संगठनों की लाख कोशिशों के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक आज भी विभिन्न दलों के बीच हिचकोले खा रहा है। आम आदमी की तो छोड़िए, हमारी संसद तक को पता नहीं है कि महिला आरक्षण विधेयक का भविष्य क्या है।

आज एक महिला सशक्तिकरण की बाते करते जरूर है लेकिन एक आम महिला को मिलता है सिर्फ तिरस्कार । कोख से कब तक महिलाएं आज भी असुरक्षित है। लिंगानुपात बताता है कि हमारे देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। औरते कम हो रही है क्योंकि जन्म लेने तक का अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण कर लोग भ्रूण का ही लिंग पता करवा लेते हैं और अगर गर्भ में पल रहा भ्रूण कन्या का होता है तो गर्भपात करवा दिया जाता है जो समाज अपनी अजन्मी बेटियों से जीने तक का अधिकार छीन लेता है। उसे हम सभ्य कैसे कह सकते हैं। हम बाते जरूर महिला सशक्तिकरण की करते हैं लेकिन हम इस स्थिति से अभी मीलों दूर है। यदि हमें वास्तव में महिला सशक्तिकरण लाना है तो हमे अपनी सोच बदलनी होगी, हमें महिलाओं को उनके हक देने होंगे।

REFERENCES

1. निशांत सिंह, 2000, महिला सशक्तिकरण का सच, ओमेगा पब्लिकेशन

2. एस. एस. गौतम, 2019, दलित महिला दशा और दिशा, सिद्धार्थ बुक्स नई दिल्ली,

3. सुमन, मंजू, डॉ. 2013, दलित महिलाएं, सम्यक प्रकाशन

4. शर्मा, पी.डी. 2017, महिला सशक्तिकरण और नारीवाद, रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली

5. पटेल, पी, उपा, प्रो. 2015, भारत में दलित समाज की स्थिति रावत पब्लिकेशन

6. पालीवाल, सुभाष 2008, भारत में महिला शिक्षा और साक्षरता, कल्याणी शिक्षा परिषद

7. भारद्वाज, निधि, 2012, महिला सशक्तिकरण, सागर पब्लिकेशन।